निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 107 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18/01/2019 से 22/01/2019 तक .....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर. एन. यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 12/01/2018 से 17/01/2018 तक श्री नीरज चुंगु, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:** प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण कार्य रुद्रपुर, काशीपुर, एवं खटीमा इकाईया ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	1.45	1.45			--	--		
2017-18	-	-	1.98	1.98			--	--		
2018-19 (Upto 12/18)	-	-	1.71	1.40			--	0.31		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

    1. सचिव,
    2. प्रमुख अभियंता,
    3. मुख्य अभियंता,
    4. अधीक्षण अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 :- शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ` 10.31 करोड़ के अनुबन्धों में Standard Bidding Documents की शर्ते सम्मिलित न किया जाना।

शासनादेश 10 फरवरी 2014 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ` 1.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों में Standard Bidding Document लागू करने का निर्णय लिया गया था।

अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर अनुबन्ध संख्या CB No. -11/SE 4th दिनांक 20/08/2014 धनराशि ` 4.09 करोड़, CB No. -12/SE 4th दिनांक 20/08/2014 धनराशि ` 3.47 करोड़, CB No. -13/SE 4th दिनांक 27/08/2014 धनराशि ` 2.75 करोड़ (इस प्रकार कुल धनराशि ` 10.31 के अनुबन्ध) पर गठित किये गये थे, परंतु इकाई द्वारा/ वृत द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए इन अनुबन्धों में Standard Bidding Document की शर्ते सम्मिलित नहीं की गई थी ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर वृत/इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यालय के पत्रांक 12/02/2014 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्यों की निविदाएँ GPW के अनुसार आमंत्रित की गई थी जिसके कारण अनुबंधों में SBD नहीं लगाई गई थी। अवगत कराना है कि SBD के अनुसार निविदाएँ आमंत्रित करने का शासनादेश फरवरी 2014 में जारी हुआ जिस कारण कार्यो की आमंत्रित निविदाएँ SBD के अनुसार आमंत्रित नहीं की गई ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

1. शासनादेश 10 फरवरी 2014 को ही जारी हो गया था जिससे स्पष्ट था कि धनराशि ` 1 करोड़ से अधिक कार्यो के साथ SBD की शर्ते सम्मिलित की जाएगी ।
2. वृत्त द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करने के लगभग 6 माह (six month) बाद अनुबन्ध गठित किये (08/2014 में) परंतु वृत्त द्वारा इसके बावजूद SBD की शर्ते ठेकेदारो से एवं स्वयं हस्तांतरित कर अनुबन्ध में सम्मिलित नहीं की गई ।
3. वृत्त द्वारा जो अभिलेख संलग्न किये है (उत्तर के समर्थन में) उनसे उल्लिखित कार्यो से स्पष्ट नहीं है कि ये प्रश्नगत अनुबन्धों से संबन्धित है ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 :- निर्धारित नियमों का पालन न कर विवेक का अनुचित प्रयोग कर समय वृद्धि स्वीकृत करना एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना ।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में ठेकेदारो को समय वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में शासन द्वारा जारी GPW-9 एवं SBD में शर्तों/नियमो का निर्धारण किया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत, रुद्रपुर के समयवृद्धि की पत्रावलियों/अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ठेकेदारो के समयवृद्धि के प्रकरणो में निर्धारित नियमों का पालन न करके, समयवृद्धि के भिन्न-भिन्न प्रकरणों के संबंध में ठेकेदारो द्वारा समयवृद्धि हेतु अपने प्रार्थना पत्रों में जो आधार/कारण दिये गये थे उन आधार कारणो के एक समान होने के बावजूद अपने विवेक के आधार पर अर्थदण्ड लगाकर, जो 0.1 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत के मध्य था एवं जो निर्धारित नियमो के विपरीत तो था ही साथ ही अन्तयत्त कम भी था, समयवृद्धि स्वीकृत की गई थी । आगे निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यो के पूरा करने हेतु निर्धारित mile stone समय पर पूरा न होने पर उनके बिलों (ठेकेदारो के) से धनराशि रोकनी चाहिए थी एवं कार्य समय पर पूरा न करने/होने के कारण ठेकेदारो पर अनुबंध/आगणन की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए था जबकि जाँचे गये समय वृद्धि के समस्त प्रकरणो में विवेक (Discretion) का प्रयोग किया गया । आगे एक अन्य समयवृद्धि प्रकरण में समान आधार/कारण होने के बावजूद लगभग 700 से 800 दिनों की समयवृद्धि बिना अर्थदण्ड के स्वीकृत करके ठेकेदारो को अनुचित लाभ दिया गया था।

प्रकरण इंगित करने पर वृत्त/इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि- "किसी विशेष कारण या आधार के लिए कोई निश्चित अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित नहीं है, वृत्त द्वारा आगे बताया गया कि कार्यस्थल परिस्थितियों/व्यवधानों के कारणों के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है, समान कारण हो सकते है किन्तु उनकी मात्राओ व कार्यस्थल की भिन्नता के कारण अलग-अलग अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।"

वृत्त का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समयवृद्धि हेतु GPW-9/SBD में स्पष्ट रूप से नियमो का उल्लेख शासन द्वारा किया गया है।

1. समयवृद्धि स्वीकृत करते समय सक्षम अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करेगा इस संबंध में कोई नियम नहीं है न ही वृत्त द्वारा कोई अभिलेख इस संबंध में उपलब्ध कराया गया ।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा समान कारणो/समान आधारो के होने के बावजूद बिना अर्थदण्ड एवं निर्धारित नियमो के विपरीत अपने विवेक का प्रयोग करके अलग-अलग प्रतिशत अर्थदण्ड ठेकेदारो पर आरोपित किया गया।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 :- Defect Lability Period के पूर्व ही कार्य हस्तगत किए जाने से ` 9.95 लाख का शासकीय धन का व्यय ।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के निरीक्षण टिप्पणी से ज्ञात होता है कि जसपुर-धामपुर मार्ग (लंबाई-6 किमी) का ए॰डी॰बी॰ खण्ड (आपदा), लोक निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा वर्ष 2014-15 में उत्तराखंड राज्य के यू॰ई॰ए॰पी॰/ ए॰डी॰बी॰/ लोन संख्या- 3055 (पैकेज संख्या-04) के अंतर्गत अनुबंध संख्या- 04/PM/UE-AP/CR(B)/PWD/C-4/US Mager/2014-15 दिनांक 21/04/2014 के तहत पुर्नस्थापना हेतु बी॰एम॰/एस॰डी॰बी॰सी॰ का कार्य कराया गया था और कार्य पूर्ण होने की तिथि 13 जनवरी 2016 थी। ज्ञातव्य है कि बी॰एम॰/एस॰डी॰बी॰सी॰ की Defect Liability Period कार्य पूर्ण होने की तिथि से 02 वर्ष तक होती है परंतु इस अवधि के पहले ही 02 जून 2017 को निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को अनुरक्षण हेतु हस्तांतरित कर दी गई थी और वर्तमान गतिमान Patch Repairing कार्य पर 9.95 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन से यह भी ज्ञात होता है कि मार्ग का Curst Fail हो चुका है और वर्षा के पानी से मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है।

उपरोक्त के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि Defect Liability Period, जोकि 2 वर्ष की होती है, के पूर्व ही मार्ग को अनुरक्षण हेतु खंडीय कार्यालय को स्थानान्तरित किया जाना और Defect का निवारण नहीं होने से वर्तमान में ` 9.95 लाख राशि व्यय हो चुकी है और आगे भी संभावना है।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, कार्यालय अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग का Crust Fail होने का मुख्य कारण Traffic Denning का बढ़ जाना था। यह भी उल्लेख किया गया कि Defect Liability Period के उपरांत ही कार्य को खंडीय कार्यालय को हस्तगत किया गया था।

खंड का प्रथम उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है जबकि द्वितीय तर्क मान्य नहीं है क्योंकि Defect Laibility में Repairing का कार्य कराये जाने से शासकीय धन के व्यय की बचत की जा सकती थी।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
07/2008-09	-	01	01
26/2012-13	-	01, 02	-
37/2015-16	-	01, 02	-
71/2017-18	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तर उच्चाधिकारियों से संस्तुत कराकर कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्रेषित कर दिया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री जी॰सी॰ विश्वकर्मा	अधीक्षण अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।**

   N.A.

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II